

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ० मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2747-तीन/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 13-08-2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना कोलारस जिला-शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/निगरानी/2014-15/अ-70

- 1- बुन्देल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह यादव
- 2- कोमल सिंह पुत्र श्री नवल सिंह
निवासीगण-ग्राम साडर तहसील बदरवास,
जिला शिवपुरी म०प्र०

.....आवेदकगण

विरुद्ध

सुमत्राबाई पत्नी श्री कमरजी यादव
निवासी-ग्राम साडर तहसील बदरवास,
जिला शिवपुरी म०प्र०

.....अनावेदक

.....
श्री आर०डी० शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण


:: आ दे श ::

(आज दिनांक १ सितम्बर 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी परगना कोलारस जिला-शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-8-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।


2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि आवेदकगण अपने भूमि स्वामित्व की भूमि पर काश्त काबिज चला आ रहा है। आवेदक द्वारा अनावेदक की किसी भी भूमि पर कभी कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया। तहसीलदार बरवास परगना कोलारस ने आदेश दिनांक 31-1-2015 द्वारा






आवेदक को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना संहिता की धारा 250 के अधीन आवेदकगण के विरुद्ध बेदखली आदेश एवं भूमि के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत 4900/- जुर्माना अधिरोपित कर संहिता की धारा 250(क) के अधीन सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी की ओर भेजा। संहिता की धारा 250 के अधीन आवश्यक संघटक जैसे कि कब अवैध कब्जा किया, किस प्रकार किया एवं कितने रकबे पर कब्जा किया इन संघटकों के विषय में आवेदकगण को विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र, साक्ष्य एवं प्रतिसाक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित आदेश अवैध होने से निरस्त किया जाये। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के सिविल जेल की कार्यवाही के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकगण को विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित आदेश दिनांक 13-8-15 पारित कर जूल सुपुर्द करने का वारंट जारी किया गया। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जाये।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिकाओं की सत्यापित प्रतियों का अवलोकन किया। अनावेदिका सुमित्राबाई पत्नि कमरजी यादव ने ग्राम साडर स्थित ख0कं0 733 रकबा 0.750 हे0 पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा होने से धारा 250 के तहत आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार के कार्यवाही करते हुये दिनांक 31-1-2015 को आदेश पारित किया है। तहसीलदार ने अपने आदेश में आवेदकगण का अनावेदिका की भूमि पर अवैध कब्जा पाया तथा कब्जा वापस सौंपने का आदेश दिया तथा आवेदक बुदेन्लसिंह पर 10960/- एवं कोमलसिंह पर 3836/- जुर्माना अधिपोरित किया और यह भी आदेशित किया कि अतिक्रामित भूमि से 07 दिवस में भीतर अपना कब्जा हटाकर भूमिस्वामी (अनावेदिका) को सौंपकर न्यायालय में उपस्थित होकर तथा कब्जा प्राप्ति

की रसीद एवं पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। यदि आवेदकगण द्वारा उपरोक्त आदेश का पालन नहीं किया तो आवेदकगण द्वारा उपरोक्त आदेश का पालन नहीं करने पर धारा 250(क) के अंतर्गत सिविल जेल की कार्यवाही के लिए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाये। तहसीलदार के समक्ष भी आवेदकगण उपस्थित थे और तहसीलदार के आदेश की जानकारी भी थी।

आवेदक अभिभाषक द्वारा तहसीलदार के आदेश के कम में न्यायालय में उपस्थित होकर कब्जा एवं जुर्माने अदा करने के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी इस न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराई। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण सिविल जेल की कार्यवाही हेतु भेजा गया तब अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण को सूचना जारी की गई जिसपर आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुये तथा जबाव भी पेश किया। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 13-8-15 को आवेदकगण का जबाव संतोषजनक नहीं पाया और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिये। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि आवेदकगण को बिना सूचना दिये एवं सुनवाई का अवसर दिये गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिये हैं। दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है।



(डॉ० मधु खरे)
सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर